न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)सिणधरी

(पीठासीन अधिकारी–जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :–33/2022

वादीगण **बनाम** प्रतिवादीगण

वादीगण

1. मोटाराम पुत्र प्रतापाराम
2. श्रीमति पूनी पत्नि बंशीलाल
3. हरीराम पुत्र बंशीलाल
4. हरकनराम पुत्र तेजाराम के कायम मुकाम
   4/1 शंकराराम पुत्र हरकनराम
   4/2 अनुदेवी पत्नि हरकनराम जाति विशनोई निवासी भाणामगरा (करना) तहसील सिणधरी

प्रतिवादीगण

1. श्रीमति रूखमण पत्नि जोराराम
2. जोराराम पुत्र अचलाराम के कायम मुकाम
   2/1 रूखमोदेवी पत्नि जोराराम
   2/2 भगवानाराम पुत्र जोराराम
   2/3 कैलाश पुत्र जोराराम
   2/4 लाछी पुत्री जोराराम जाति विशनोई निवासी कानोड़िया महासिंग तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर
3. तहसीलदार सिणधरी
4. पटवारी, पटवारी हल्का करना

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः– 1. श्री भंवरलाल सारण वकील वादीगण
2. श्री नारायण कुमावत वकील प्रतिवादी सं. 1 व 2

निर्णय

दिनांक– 15.07.2025

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है,कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 2 की पुश्तैनी सम्पति की भूमि खसरा संख्या 192,193 व 198 कुल रकबा 58.04 बीघा ग्राम भाणा मगरा तहसील सिणधरी में अवस्थित है। उक्त भूमि में 1/2 हिस्सा अचला पुत्र सिरदारा का तथा 1/2 हिस्सा प्रहलाद पुत्र रामचन्द का था। अचला के फौत होने पर उसके स्थान पर उसके पुत्रों– खीयां, बालू, जोरा, जोधा व मोबता के नाम तथा मोब[illegible] होने पर देवी व वगतू के नाम और जोधा के फौत होने पर मी[illegible] इसी प्रकार शेष 1/2 हिस्से के खातेदार प्रहलाद के फौत होने पर [illegible] इकलौती वारिस मुगली के नाम अमलदरामद हुआ। प्रहलाद के पिता रामचन्द [illegible] के प्रहलाद के अतिरिक्त लाऔलाद कुंवारा फौत भैराराम व लाखाराम, वादी सं. 1 [illegible] के पूर्व पुरूष प्रतापा तथा वादी सं. 4 के पिता तेजाराम जाइन्दा पुत्र थे, जो बहैसियत वारिस प्रहलाद, मुगली की खातेदारी में दर्ज 1/2 हिस्से पर काबिज हुए। वादीगण ही वादग्रस्त भूमि के 1/2 हिस्से पर काबिज होकर लगातार काश्त करते आ रहे है। मुगली के फौत होने पर वादीगण ने मुगली के 1/2 हिस्से का ना.क.स. अपने नाम दर्ज करने हेतु हल्का पटवारी से निवेदन

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:40:53 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

किया, किंतु हल्का पटवारी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। वाद दायर करवाने के दो माह पूर्व प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने मुगली के कूटरचित व फर्जी वसीयतनामा तैयार कर उसके आधार पर प्रतिवादी सं. 1 के नाम मुगली के 1/2 हिस्से का अमलदरामद करने पर आमादा हुए। पटवारी हल्का को फर्जी कार्यवाही एवं दस्तावेज के आधार पर ना.क. पारित करवाने पर आमादा होने से उसे प्रतिवादी सं. 4 के रूप में पक्षकार बनाया गया है। अतः वादीगण ने वदग्रस्त भूमि के 1/2 हिस्से में बहैसियत वारिस मुगली अपनी खातेदारी घोषित करवाने तथा प्रतिवादी सं. 1 व 2 के विरूद्ध मुगली के 1/2 हिस्से का अपने नाम म्यूटेशन पारित नहीं करवाने तथा राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने हेतु यह वाद प्रस्तुत किया है।

वाद दायर कर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी सं. 1 व 2 की ओर से इस आशय का जवाब प्रस्तुत किया गया कि वादीगण ने मुगली के वारिस की हैसियत से वादग्रस्त भूमि की खातेदारी हेतु दावा किया है, जबकि वास्तव में मुगली से वादीगण का दूर–दराज का भी रिश्ता नहीं है। वादीगण में से किसी की न तो वह ताई थी और न किसी की दादी अथवा सास ही, वह अचला के पुत्रों की चाची थी। प्रतिवादिनी सं. 1 जो प्रतिवादी सं. 2 की पत्नी है, मुगली की सगी बहिन है। मुगली निसंतान होने से वृद्वावस्था में अन्तिम क्षण तक प्रतिवादी सं. 1 व 2 के साथ परिवार की सदस्य के रूप में रही थी। विकास अधिकारी शेरगढ़ द्वारा प्रतिवादी सं. 2 को जारी परिवार राशनकार्ड 113 दिनांक 26.06.2002 में क्रम सं.ख्या 5 पर मुखिया की काकी के रूप में अंकित मुगली के नाम से साबित है। प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा की गई सेवा से संतुष्ट होकर मुगली ने दिनांक 16.07.2007 को अपने 1/2 हिस्से की समग्र भूमि की वसीयत अपनी बहिन के नाम कर दी। मुगली की मृत्यु के पश्चात माफिक वसीयत प्रतिवादी सं. 1 मुगली के 1/2 हिस्से की भूमि पर काबिज हुई और खातेदारी में तद्नुसार अपना नाम दर्ज करवा लिया। मुगली की मृत्यु पर सामाजिक एवं धार्मिक संस्कार प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने सम्पादित करवाये थे । वसीयत की दो स्वतंत्र गवाहान ने पुष्टि की और नोटेरी से सत्यापित है। वसीयत की जांच से संतुष्ट होने के बाद तहसीलदार गुड़ामालानी ने ना.क.स. पारित करने के आदेश जारी किये थे। जहां तक वसीयत की वैधता को चुनौती दिये जाने का प्रश्न है, इसके लिए राजस्व न्यायालय नहीं बल्कि सिविल न्यायालय सक्षम है। वादीगण ने सक्षम सिविल न्यायालय में वसीयतनामा की वैधता के संबंध में कोई दावा नहीं किया है और यह विषय वस्तु राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नहीं है। दिनांक 26.06.02 को जारी जोराराम के राशनकार्ड में मुगली का नाम मुखिया की काकी के रूप में दर्ज है। इसके अतिरिक्त वादग्रस्त भूमि के समस्त खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाये जाने के कारण भी वाद पोषणीय नहीं है। अतः वादीगण का वाद वादग्रस्त भूमि हड़पने की नीयत से मनगढ़त तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया होने से काबिल खारिज है, जो खारिज किया जावे।

वकील वादीगण ने वादीपक्ष की ओर से साक्ष्य के रूप में [illegible] पी.डब्ल्यु–01, वरधा पी.डब्ल्यू–02 को परीक्षित करवाया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रद[illegible] पी–01 राशन कार्ड संख्या 247008 की प्रति, प्रदर्श पी–02 परिवार कार्ड संख्या [illegible] प्रदर्श पी–03 मतदाता सूची 1999, प्रदर्श पी–04 मतदाता सूची 2004, [illegible] संख्या 39 की निर्वाचक नामावली, प्रदर्श पी–06 ग्राम पंचायत [illegible] प्रमाण पत्र, प्रदर्श पी–07 राशन कार्ड संख्या 113, प्रदर्श पी–08 प्र.सू.रि.सं. 62 पु. था. उदयमंदिर, प्रदर्श पी–09 डाकघर का खाता विवरण, प्रदर्श पी–10 ग्राम पंचायत खारा का प्रमाण पत्र, प्रदर्श पी–11 से लगायत पी–26 मु.सं. 62 के बयानात, प्रदर्श पी–27 डाकघर बचत बैंक रसीद, प्रदर्श पी–28 डाकघर स्पेसीमेन सिग्नेचर बुक, प्रदर्श पी–29 पुलिस उपायुक्त जोधपुर पत्र क्रमांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:40:53 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

1307–08, प्रदर्श पी–30 पु. था. उदयमंदिर का पत्र कमांक 7347, प्रदर्श पी–31 एफ.एस. एल. राय तालिका, प्रदर्श पी–32 एफ.एस.एल. रिपोर्ट कमांक 61 दि. 31.01.2013, प्रदर्श पी–33 अंतिम रिपोर्ट मु.सं. 151, प्रदर्श पी–34 प्र.सू.रि.सं. 151, प्रदर्श पी–35 सि.न्या. बालेसर में दर्ज परिवाद 23.2.2011, प्रदर्श पी–36 से लगायत प्रदर्श पी–43 मु.सं. 151 के बयानात, प्रदर्श पी–44 जमाबंदी खेवट खतौनी खा.सं. 135 संवत 2013–2016, प्रदर्श पी–45 अंतिम रिपोर्ट प्र.सू.रि.सं. 62, प्रदर्श पी–46 प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.सू.रि.सं. 62, प्रदर्श पी–47 वसीयतनामा, प्रदर्श पी–48 से लगायत प्रदर्श पी–51 आरोप पत्र फौज.प्र.सं. 61/2017, प्रदर्श पी–52 आज्ञा पत्र, राजस्व अपील प्राधिकारी, प्रदर्श पी 53 से प्रदर्श पी–54 राव बही भाट द्वारा जारी वंशावली की प्रति प्रस्तुत किये।

वकील वादीगण की बहस सुनी गई।

वकील वादीगण की बहस है कि मुगली के पति प्रहलाद, रामचन्द वल्द गिरधारी के पुत्र थे। रामचन्द के पांच पुत्र– प्रहलाद, भैराराम, तेजाराम, प्रतापाराम व लाखाराम थे, जिनमें से भैराराम व लाखाराम लाऔलाद फौत हो चुके थे । तेजाराम के इकलौते पुत्र हरकनराम तथा प्रतापाराम के दो पुत्र मोटाराम एवं वादी सं. 2 व 3 के पिता–पति बंशीलाल थे। वादग्रस्त भूमि की 1/2 हिस्से की खातेदार मुगली के कोई औलाद नहीं होने से वादीगण ही उसके विधिसम्मत वारिस है। किंतु प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने वसीयतनामा व राशनकार्ड आदि कूटरचित दस्तावेज तैयार कर मुगली के 1/2 हिस्से की समग्र भूमि रूखमण पत्नी जोरा के नाम दर्ज करवा ली। मुगली का रूखमण के नाम तैयार वसीयतनामा एवं उस पर अंकित मुगली के अंगुष्ठ निशान निदेशक, फिंगरप्रिन्ट ब्यूरों राजस्थान जयपुर द्वारा मुगली के वास्तविक अंगुष्ठ निशान से मिलान करने पर फर्जी पाये गये। जिस राशनकार्ड में मुगली को जोराराम की काकी दरसाया गया है, वह राशनकार्ड भी फर्जी पाया गया, क्योंकि जिस राशनकार्ड में मुगली का जोराराम की काकी के रूप में उल्लेख हे, उसके दर्ज क्रमांक 113/26.06.02 पर सरपंच ग्राम पंचायत जेठानिया के प्रमाण पत्र के अनुसार जोगाराम पुत्र दशालाराम का राशनकार्ड जारी हुआ है। फर्जी राशनकार्ड में कुल यूनिट 8 अंकित है जबकि जोगाराम के राशनकार्ड में छः यूनिट दर्ज है। इस प्रकार कूटरचित दस्तावेज के आधार पर राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं. 1 के नाम किया गया इन्द्राज प्रारम्भतः शून्य एवं निष्प्रभावी है। वादीगण ही बहैसियत मुगली के वारिस वादग्रस्त भूमि के 1/2 हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। अतः वादीगण वादग्रस्त भूमि के 1/2 हिस्से से प्रतिवादिनी सं. 1 की खातेदारी निरस्त करवाते हुए उसके स्थान पर अपनी खातेदारी घोषित करवाने एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व अपने कब्जाकाश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किये जाने के आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने के अधिकारी है।

हमनें वकील वादीगण की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध गवाहान के शपथपत्रों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। वादपत्र में अंकित वंशवृक्ष के अनुसार वादीगण ही वादग्रस्त भूमि के 1/2 हिस्से की खातेदार श्रीमति मुगली के वारिस है। जिस वसीयतनामा के आधार पर प्रतिवादिनी सं. 1 [illegible] भूमि के 1/2 हिस्से पर अपनी खातेदारी दर्ज करवाई है, उस [illegible] फिंगर प्रिंट ब्यूरों जयपुर द्वारा की गई जांच में फर्जी पाये गये। वह राशनका[illegible]समें जोराराम की काकी के रूप में मुगली का उल्लेख है, सरपंच ग्राम पंचायत जेठानियां द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुसार फर्जी पाया गया क्योकिं उस पर दर्ज क्रमांक पर किसी [illegible]य व्यक्ति जोगाराम पुत्र दशालाराम का राशनकार्ड जारी होना पाया गया। इससे स्पष्ट है कि प्रतिवादिनी सं. 1 ने फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेज के आधार पर वादग्रस्त भूमि के रिकार्ड में अपना नाम दर्ज करवा दिया। जहां तक प्रकरण की विचारणीयता के क्षेत्राधिकार का प्रश्न है, वह उसके

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:40:53 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

'पिथ' एव 'सिक्वेंस' पर निर्भर करती है। यह सही है कि किसी दस्तावेज की वैधता का निर्धारण सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार है किंतु किसी दस्तावेज को किसी के हकों की सीमा तक शून्य व निष्प्रभावी घोषित करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय में निहित है। यद्यपि वसीयत की वैधता के सम्बन्ध में माननीय सिविल न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है किंतु अंगूष्ठ मिलान प्रकिया में वसीयतनामा पर अंकित मृगली के अंगूष्ठ निशान फर्जी पाये गये तथा जोराराम की मृगली के साथ रिश्तेदारी साबित करने वाला राशनकार्ड भी फर्जी पाया गया। उक्त तथ्यों के विवेचन से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादिनी सं. 1 ने कूटरचित दस्तावेजात के जरिये वादग्रस्त भूमि के 1/2 हिस्से में अपनी खातेदारी दर्ज करवाई। वादीगण की वादग्रस्त भूमि में स्थित मृगली के 1/2 हिस्से की भूमि के हकदार है। मौखिक साक्ष्य के अभिकथनों से उक्त भूमि पर वादीगण का ही कब्जा काश्त होने की पुष्टि होती है। ऐसी सूरत में ग्राम भाणामगरा की खसरा संख्या 192,193 व 198 कुल रकबा 58-04 बीघा भूमि के मृगली के 1/2 हिस्से की भूमि से प्रतिवादिनी सं. 1 की खातेदारी निरस्त करते हुए वादीगण की खातेदारी में दर्ज किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है। जहां तक वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमी के समस्त खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाये जाने बाबत प्रतिवादी स. 1 व 2 द्वारा दी गई दलील का प्रश्न है. उनका यह कथन सही है कि वादग्रस्त भूमि के समस्त खातेदार वाद में आवश्यक पक्षकार होते है. किंतु चूंकि वादीगण ने खातेदारी घोषणा का अनुतोष केवल प्रतिवादिनी सं. 1 से ही चाहा गया है और उसी के हक ही वाद के विचारण से प्रभावित हो रहे है। अत: शेष खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाये जाने से उनके हिजो पर कोई प्रभाव नहीं पड रहा है। ऐसी सूरत में उन्हें पक्षकार नहीं बनाये जाने के कारण वाद की प्रकृति प्रभावित नहीं होती है।

लिहाजा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम भाणामगरा की खसरा सख्या 192,193 व 198 कुल रकबा 58-04 बीघा भूमि के 1/2 हिस्से के इन्द्राजात को यथावत रखते हुए तथा प्रतिवादिनी सं. 1 की 1/2 हिस्से में दर्ज खातेदारी निरस्त करते हुए उसके स्थान पर 1/8-1/8 हिस्सा वादी सं. 1, 4/1 व 4/2 प्रत्येक की एवं 1/16-1/16 हिस्सा वादी स. 2 व 3 प्रत्येक की खातेदारी में घोषित किया जाता है। तहसीलदार सिणधरी को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। प्रतिवादीगण के विरूद्व वादीगण के 1/2 हिस्से की भूमि में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किये जाने के आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 15.07.2025 को लिखवाया जाकर मजमें आम सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:40:53 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

मूलवाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,सिणधरी

पीठासीन अधिकारीः— श्री जगदीशसिंह आशिया, आर.ए.एस.

उनवान

वादीगण	**बनाम**	**प्रतिवादीगण**
1. मोटाराम पुत्र प्रतापाराम 2. श्रीमति पूनी पत्नि बंशीलाल 3. हरीराम पुत्र बंशीलाल 4. हरकनराम पुत्र तेजाराम के कायम मुकाम 4/1 शंकराराम पुत्र हरकनराम 4/2 अनुदेवी पत्नि हरकनराम जाति विशनोई निवासी भाणामगरा (करना) तहसील सिणधरी		1. श्रीमति रूखमण पत्नि जोराराम 2. जोराराम पुत्र अचलाराम के कायम मुकाम 2/1 रूखमोदेवी पत्नि जोराराम 2/2 भगवानाराम पुत्र जोराराम 2/3 कैलाश पुत्र जोराराम 2/4 लाछी पुत्री जोराराम जाति विशनोई निवासी कानोड़िया महासिंग तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर 3. तहसीलदार सिणधरी 4. पटवारी, पटवारी हल्का करना

दावा बाबतः— 88,188, आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर :—33/2022

निर्णय दिनांक :— 15.07.2025

वादीगण की ओर से श्री भंवरलाल सारण अधिवक्ता, प्रतिवादी 3 के पैरोकार सरकार की उपस्थिति एवं शेष की अनुपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 15.07.2025 को श्री जगदीशसिंह आशिया (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर सिणधरी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, निर्णय किया जाता है और **डिक्री दी जाती है किः—** वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम भाणामगरा की खसरा संख्या 192,193 व 198 कुल रकबा 58—04 बीघा भूमि के 1/2 हिस्से के इन्द्राजात को यथावत रखते हुए तथा प्रतिवादिनी सं. 1 की 1/2 हिस्से में दर्ज खातेदारी निरस्त करते हुए उसके स्थान पर 1/8—1/8 हिस्सा वादी सं. 1, 4/1 व 4/2 प्रत्येक की एवं 1/16—1/16 हिस्सा वादी सं. 2 व 3 प्रत्येक की खातेदारी में घोषित किया जाता है। तहसीलदार सिणधरी को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। प्रतिवादीगण के विरूद्व वादीगण के 1/2 हिस्से की भूमि में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किये जाने के आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 15.07.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर,सिणधरी

वाद के खर्चे

वादीनीगण		[illegible]	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2.अर्जी के लिए स्टाम्प	
3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		3.प्लीडर की फीस	
4..........रूपये पर प्लीडर की फीस		4.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5.साक्षियों के लिए निर्वाह—व्यय		5.आदेशिका की तामील	
6.कमिश्नर की फीस		6.कमिश्नर की फीस	
7.आदेशिका की तामील			
जोड़		जोड़	

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:40:53 IST
Reason: SelfAttested